न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान) केम्प गोरीया
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या 131/2021 GCMS No 2021/279
दायरा तिथि : 02.11.2021
फैसला तिथि : 02.11.2021

प्रार्थीगण::–

ग्रामवासी गोरीया जरिये
सरपंच ग्राम पंचायत गोरीया तहसील–बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– दिनांक 02.11.2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ग्रामवासी गोरीया द्वारा कदीमी रास्ते को मौके पर मौजुद स्थिति के अनुसार नक्शे में तरमीम किये जाने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रकरण संस्थापित कर जांच रिपोर्ट तहसीलदार, बाली से ली गई। तहसीलदार, बाली मय पटवारी हल्का, गोरीया व निरीक्षक भू0 अभिलेख बीजापुर ने मौके व रेकर्ड से जांच कर रिपोर्ट पेश की। अपनी रिपोर्ट में निवेदन किया कि ग्राम गोरीया में स्थित भूमि खसरा नंबर 778 रकबा 8.11 हैक्टर किस्म गै.मु. मगरी राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होकर राजकीय सिवायचक दर्ज है, परन्तु इस खसरे में से 0.18 हैक्टर भूमि पर कदीमी रास्ता है, जो पिछले कई वर्षो से आम जन के आने जाने के लिये इस्तेमाल हो रहा हैं, इसलिये मौके पर मौजुद कदीमी रास्ते को रास्ता दर्ज किये जाने के साथ नक्शे में तरमीम किये जाने का निवेदन किया। अपनी रिपोर्ट में यह भी वर्णित किया गया कि प्रस्तावित (कदीमी) रास्ता मौके पर चालू है जिससे खसरा नंबर 778 रकबा 8.11 हैक्टर की भूमि मेंसे 0.18 हैक्टर भूमि को मौका स्थिति के अनुसार रेकर्ड में गैमु. रास्ता दर्ज किये जाने के साथ नक्शे में तरमीम की अनुशंषा की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से हस्तगत् प्रकरण में यह प्रमाणित हैं कि ग्राम गोरीया के खसरा नंबर 778 रकबा 8.11 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन मगरी जो कि राजस्व रेकर्ड में राजकीय सिवायचक दर्ज है, परन्तु इस खसरा नंबर की भूमि में उपरोक्तानुसार कुल 0.18 हैक्टर मौके पर कदीमी रास्ता मौजुद है, इसका अंकन राजस्व रेकर्ड में तथा नक्शे में नहीं है, जिससे उक्त रास्ता से गुजरने वाले लोगो को कठिनाई होने से परिवाद दर्ज किये जाते रहे है, जिसको अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, बाली द्वारा जांच रिपोर्ट में स्वीकार करते हुये रेकर्ड शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की गई हैं।

इस सबंध में राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के प्रावधानो का अवलोकन किया गया।

131. Maintenance of Map and Field Book- After the survey and record operation are over, the map and field book shall be maintained by the Land Records officer, in accordance with the rules made by the state Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded tferin all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or fileld and shall correct any errors wich are shown to have been made in such map or field book. According to section 131, the Land Record Officer(i.e. collector or S.D.O. as the case may be) shall be responsible for the proper maintenance of the map, and field book and to record necessary changes from time to time in accordance with the Raj. Land Revenue (Land Record) Rules, 1957.

इस सबंध में राजस्थान भूराजस्व (भू0 अभिलेख) नियम 1957 में **नक्शा (मानचित्र)** के संबध में वर्णित नियम 59 व 60 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निरीक्षक भू0 अभिलेख एवं सबंधित राजस्व अधिकारी **नक्शे की शुद्धि के लिये जिम्मेदार हैं।** इस संबध में राजस्थान भूराजस्व (भू0 अभिलेख) नियम 1957 के **अध्याय द्वितीय में वर्णित उपखण्ड अधिकारियों के कर्तव्य शीर्षक में वर्णित नियम 369 के अनुसार–** उपखण्ड अधिकारी यद्यपि जिलाधीश के नियंत्रण में है फिर भी उसके साथ–साथ **अपने उपखण्ड में अभिलेख नक्शे की शुद्धि के लिए उत्तरदायी है उसे समस्त परिवर्तनों के आदेश देने के अधिकार हैं** तथा समस्त विवादारपद नामान्तरकरण के मामले हस्तान्तरण व परिवर्तन जो उसके ध्यान में आवे निस्तारण कर सकता हैं। कर्मचारीगण पर देख रेख करने के अलावा उसे विशेषतया यह देखना चाहिए कि पारित आदेश स्पष्ट संक्षिप्त हैं तथा इनकी पालना कर ली गई हैं। उपखण्ड अधिकारी की भू0 अभिलेख के सम्बन्ध में उन कर्तव्यों के अलावा जो वह न्यायिक हैं दृष्टि से सम्पन्न करता है। इसके साथ ही राज.भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत रिकार्ड में हुई त्रुटि को दोनो पक्षो के सहमत होने पर उपखण्ड अधिकारी बतौर लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर शुद्धि के आदेश दे सकता हैं।

पेज लगातार....02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : /2021 GCMS No 2021 /

अनवान ग्रामवासी गोरीया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गोरीया बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1955

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। माफिक रिपोर्ट तहसीलदार, बाली ग्राम गोरीया के खसरा नंबर 778 रकबा 8.11 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन मगरी जो कि राजस्व रेकर्ड में राजकीय सिवायचक दर्ज है, मेंसे मौका स्थिति अनुसार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 136 के तहत निम्नानुसार कुल 0.18 हैक्टर राजस्व रेकर्ड में बतौर गै.मु. रास्ता दर्ज करने के साथ राजस्व नक्शे में संशोधन के आदेश दिये जाते हैं। पटवारी हल्का, गोरीया मय निरीक्षक भू0अभिलेख बीजापुर व तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय मौका नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, गोरीया को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली जिला - पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक **02.11.2021** को मजमा–ए–आम में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.

Scanned with CamScanner